संचिका सं0–अभि0 निदे0–03/स्था0–07/2022–.........18............./

झारखंड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

अभियोजन निदेशालय।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह
निदेशक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय।

U.D.A
1180/
10/03/2023

सेवा में,

1. मा0 महाधिवक्ता,
झारखंड उच्च न्यायालय, राँची।

दिनांक......03.03.23

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2055–पुलिस–001–निदेशन और प्रशासन 01 – अभियोजन निदेशालय के विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल रू0. 500000/- (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय के स्थापना मद कुल रू0. 500000/- **(पाँच लाख रूपये)** मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2055–पुलिस–001–निदेशन और प्रशासन–01–अभियोजन निदेशालय के विभिन्न इकाईयों अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय है।

3. उक्त राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे।

4. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला/अनुमंडल कोषागार से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा एवं निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यो के लिए नही करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पित करने की कार्रवाई करेगें।

7. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इस पत्र के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि स्थापना मद में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही राशि की निकासी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

9. राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–191/बजट, दिनांक 30.03.2009 का परिपालन किया जायेगा।

10. किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरूद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन [illegible]

[illegible] द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

ह0/–
(राज कुमार सिंह)
[illegible]

[illegible]

(राज कुमार सिंह)
निदेशक अभियोजन

ज्ञापांक अभि0नि0 03/स्था0 07/2022.....18...../ राँची, दिनांक-03/03/2023 ई0।
प्रतिलिपि– योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखंड, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखंड राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2023
(राज कुमार सिंह)
निदेशक अभियोजन।

G:\Vijay\Allotment.docx